संख्या - 14/ एन0जी0ओ0 43/84-2-2013-सीपी 9/2011

प्रेषक,

हरिश्चन्द्र,
अनु सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

नियंत्रक,
विधिक माप विज्ञान विभाग, उ.प्र.,
7, बाला कदर रोड, लखनऊ ।

उपभोक्ता संरक्षण एवं बांट माप अनुभाग-2 लखनऊ : दिनांक : 12 सितम्बर, 2013

विषय राज्य उपभोक्ता कल्याण कोष से उपभोक्ता संरक्षण के क्षेत्र में कार्यरत स्वैच्छिक संगठन द्वारा प्रथम किस्त के सापेक्ष कराये गये कार्यो की जांच किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि प्रमुख सचिव, खाद्य एवं रसद विभाग/उपभोक्ता संरक्षण एवं बांट माप विभाग, उ.प्र. शासन की अध्यक्षता में गठित राज्य उपभोक्ता कल्याण कोष समिति की बैठक दिनांक 26-3-2010 में समिति द्वारा की गयी संस्तुति के क्रम में शासनादेश संख्या-सीपी 161/84-2-2010-सीपी 16/2003, दिनांक 01 अप्रैल, 2010 द्वारा 16 स्वैच्छिक संगठनों को "राज्य उपभोक्ता कल्याण कोष" से रूपये दो लाख (एक-एक लाख की दो किस्तों में) स्वीकृत करते हुए प्रथम किस्त की धनराशि रूपये एक लाख अवमुक्त किये जाने के निर्देश दिये गये थे।

2- इस सम्बन्ध में सुश्री चित्रा सिंह, सचिव, दूरदर्शी ग्रामोद्योग सेवा संस्थान, ग्राम व पोस्ट राजापुर रानी, लखीमपुर खीरी ने अपने दिनांक रहित पत्र द्वारा अनुदान की धनराशि रूपये एक लाख के सापेक्ष पेपरकटिंग, फोटोग्राफ्स तथा चाटर्ड एकाउटेंट द्वारा प्रमाणित बैलेंश शीट, शपथ पत्र व बिल आदि उपलब्ध कराते हुए द्वितीय किस्त अवमुक्त करने का अनुरोध किया गया है।

3- अत: उक्त स्वैच्छिक संगठन से प्राप्त पत्र व उपर्युक्त प्रस्तर-2 में उल्लिखित समस्त अभिलेख मूलरूप में संलग्न (वापसी अपेक्षित) कर प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि उक्त स्वैच्छिक संगठन को प्रथम किस्त के रूप में दी गयी धनराशि रूपये एक लाख से संस्था द्वारा कराये गये कार्यो का मूल्यांकन कराकर आख्या एवं संस्तुति एक माह के भीतर उपलब्ध कराते हुए उक्त पत्रों व उसके साथ संलग्न समस्त अभिलेखों की मूल प्रति शासन को वापस करने का कष्ट करें।

संलग्नक- यथोक्त।

भवदीय,
(हरिश्चन्द्र)
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in